

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
10.12.2025 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 1809 का उत्तर

ट्रेनों में महिला सुरक्षा

1809. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों (2020-2025) के दौरान रेलगाड़ियों और रेलवे परिसरों में महिला यात्रियों के विरुद्ध अपराधों के दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्हें किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है;
- (ग) महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए रोकथाम उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और दूसरे रैंक के पदों के लिए कितने रिक्त पद हैं, इन पदों को भरने में देरी क्यों हो रही है और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए चल रहे भर्ती अभियान को ज़ोन-वार पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने,

पंजीकरण और जांच तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

भारतीय रेल में महिला यात्रियों के खिलाफ अपराधों के मामलों का ब्यौरा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध में प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय रेल पर महिला यात्रियों की संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। महिला यात्रियों से संबंधित प्रमुख मामलों में उनसे शारीरिक छेड़छाड़ है और ऐसे अपराधों को रोकने और महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. संवेदनशील और पहचाने गए मार्गों/खंडों पर, राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन रेलगाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।
2. 'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक संरक्षा व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
3. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।
4. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

5. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।
6. चोरी, छीना-झपटी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।
7. क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों में जहाँ तक संभव हो पुरुष और महिला आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों की उचित संयुक्त संख्या की तैनाती करें।
8. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश करने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।
9. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य के संबंधित पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई हैं।

भारतीय रेल के आकार, स्थानिक वितरण और परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकी में बदलाव परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। इन रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक

और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है।

वर्तमान में भारतीय रेल में 2024 और 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 1,20,579 रिक्तियों की भर्ती शुरू की गई।

सहायक लोको पायलटों (एएलपी), तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर (जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रसायन एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक), गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (पूर्व-स्नातक), अनुसचिवीय एवं पृथक कोटियों और लेवल-1 कोटियों जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर 2024 के दौरान 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं।

59,678 रिक्तियों के लिए पहली/एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पूरी की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है -

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	18,40,347	156	15
तकनीशियन के पद (14,298 रिक्तियां) हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	26,99,892	139	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	11,01,266	146	15
रे.सु.ब. उपनिरीक्षक के पद (452 रिक्तियां) हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	15,35,635	143	15

आरपीएफ-कांस्टेबल के पद (4208 रिक्तियां) हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	45,30,288	147	15
पैरामेडिकल कोटियों (1376 रिक्तियां) हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	7,08,321	143	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) (8113 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	58,41,774	141	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक) (3445 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	63,27,473	157	15
अनुसचिवीय एवं पृथक कोटियों हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (1,036 रिक्तियां)	4,46,013	139	15

सहायक लोको पायलट, जेई/डीएमएस/सीएमए और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के पदों के लिए द्वितीय चरण की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा भी पूरी की गई है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	2,66,363	112	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा	1,17,339	118	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) (8113 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण कम्प्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा	1,21,931	129	15

सहायक लोको पायलट के पद के लिए कम्प्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण (सीबीएटी) भी पूरा कर लिया गया है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
सहायक लोको पायलट के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु कम्प्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा	1,32,044	84	2

प्रथम चरण के 32,438 रिक्तियों हेतु कम्प्यूटर आधारित परीक्षा दिनांक 27.11.2025 से 15 भाषाओं में 140 शहरों में शुरू की गई है। कांस्टेबल-आरपीएफ के 4,208 रिक्तियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) दिनांक 13.11.2025 से शुरू किया गया है।

23,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए पैनल, जिसमें तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरा मेडिकल कोटियों, उप-निरीक्षक (आरपीएफ) और सहायक लोको पायलट के पद शामिल हैं, रेल विभागों को भेजे गए हैं। इनमें से अधिकांश संरक्षा कोटियों में हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 28,463 रिक्तियों के लिए निम्नलिखित सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएँ भी जारी की गई हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या	पद का नाम	अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या	अधिसूचना जारी करने का माह
1	01/2025	सहायक लोको पायलट	9,970	मार्च 2025
2	02/2025	तकनीशियन	6,238	जून 2025
3	03/2025	पैरा मेडिकल	434	जुलाई 2025
4	04/2025	सेक्शन कंट्रोलर	368	अगस्त 2025
5	05/2025	जूनियर इंजीनियर/डिपो सामग्री अधीक्षक	2,585	अक्टूबर 2025
6	06/2025	एनटीपीसी (स्नातक)	5,810	अक्टूबर 2025
7	07/2025	एनटीपीसी (पूर्व-स्नातक)	3,058	अक्टूबर 2025

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कर्मियों और संसाधनों को जुटाने तथा जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके

से भर्ती का सफलतापूर्वक संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-14 की तुलना में 2014-2015 से 2024-2025 के दौरान भारतीय रेल में की गई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

अवधि	भर्तिया*
2004-2005 से 2013-2014	4.11 लाख
2014-2015 से 2024-2025	5.08 लाख

\*लेवल-1 और सुरक्षा संबंधी पदों सहित

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभान्वित कर रहा है:

- अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;
- प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;
- परीक्षाओं की निश्चितता;
- भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।

\*\*\*\*\*